जन सूचना

रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षाओं को निष्पक्ष तरीके से आयोजित करने तथा प्रतिरूपण के प्रयासों को रोकने के लिए उम्मीदवारों की सही पहचान हो यह महत्वपूर्ण है। उम्मीदवार की पहचान का सत्यापन 'आधार' के माध्यम से हो यह उम्मीदवारों के लिए भी सुविधाजनक एवं परेशानी मुक्त होगा।

आधार अधिनियम के प्रावधान तथा नियम दिनांक 14 सितंबर 2016 से लागू हैं तथा इससे संबंधित अधिसूचना सरकारी राजपत्र में प्रकाशित की जा चुकी है। आधार अधिनियम 2016 की धारा 57 के अनुसार किसी व्यक्ति की पहचान सुनिश्चित करने के लिए आधार नंबर का उपयोग किया जा सकता है।

तदनुसार, सभी रेलवे भर्ती बोर्ड ने यह विनिश्चय किया है कि भविष्य में होने वाली सभी रेलवे भर्ती में उम्मीदवारों को अपना 12 अंकों का आधार नंबर या 28 अंकों का आधार पंजीकरण नंबर आवेदन करते समय अनिवार्य रूप से देना होगा। परीक्षा के दौरान, बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली के द्वारा उम्मीदवारों के अंगुली का निशान प्राप्त कर उसका मिलान आधार सर्वर में उपलब्ध उनकी अंगुली के निशान से किया जा सकता है।

सभी पात्र उम्मीदवार जो रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षाओं में आवेदन करना चाहते हैं उनसे अनुरोध है कि वे आधार पंजीकरण केंद्रों से संपर्क कर अपना पंजीकरण करवा लें।

उपरोक्त प्रावधान जम्मू एवं कश्मीर, मेघालय तथा आसाम को छोड़कर अन्य सभी राज्यों में लागू है। जम्मू एवं कश्मीर, मेघालय तथा आसाम राज्यों के उम्मीदवारों को ऑन-लाइन आवेदन फॉर्म में अपना वैध पासपोर्ट नंबर, मतदाता पहचान पत्र नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर अथवा अन्य वैध सरकारी पहचान पत्र नंबर भरना होगा।

रेलवे भर्ती बोर्ड